

पूनमाराम बनाम दुदाराम
राजस्व आवेदन संख्या 206/22
अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर
दिनांक :- 7.09.2022

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थीगण वकील उपस्थित ।
विप्रार्थीगण को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की तलबी हेतु
प्रार्थीगण वकील के द्वारा पेश नहीं की गयी। पत्रावली का
अवलोकन किया गया । विधि का सुस्थापित सिद्धान्त एवं
रेवेन्यू बोर्ड के निर्णयो अनुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही
करवाकर उसकी रिपोर्ट प्रार्थना-पत्र के संलग्न प्रस्तुत
करना आवश्यक है । मगर प्रार्थीगण द्वारा अपनी
खातेदारी भूमी, जिसी नेखमबंदी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत किया गया है, उसका कोई सीमा ज्ञान नियमानुसार
नहीं करवाया गया है न ही सीमाज्ञान की कोई रिपोर्ट
संलग्न प्रस्तुत की गई है ।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र
नेखमबंदी/पत्थरगढी द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश नहीं
करने के अभाव में इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

